INDIA NON JUDICIAL

IN-UP88879294409988V

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Signature...........
ACC NAME-JAGJEET SINGH
ACC CODE-UP14780704
ACC ADDRESS-33, LEKHRAJ GOLD,
MUNSHIPULIA, INDIRA NAGAR
LUCKNOW,MOB.NO.-7571997804
LICENCE NO.-570/2022

Certificate No.	:	**IN-UP88879294409988V**
Certificate Issued Date	:	02-Dec-2023 02:15 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14780704/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14780704734570728887887V
Purchased by	:	SMT SHAKTI SINGH WO LOVE KUMAR
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SMT SHAKTI SINGH WO LOVE KUMAR
Second Party	:	AMAR PRATAP CHAUDHARI SO MADHAV PRASAD
Stamp Duty Paid By	:	SMT SHAKTI SINGH WO LOVE KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH
R.C. VERMA NOTARY LUCKNOW U.P. INDIA Regd. No. 31/64/2000

विक्रय मूल्य : 75,00,000/
बयाना मूल्य : 1,00,000/–
स्टाम्प :

विक्रय अनुबन्ध–पत्र

श्रीमती शक्ति पत्नी श्री लव कुमार स्थाई निवासी– सिंह क्लीनिक महेशपुरा रोड, आर्यनगर, काशीपुर उद्यमसिंह नगर, उत्तरांचल।

.............विक्रेता / प्रथम पक्ष

एवं

अमर प्रताप चौधरी पुत्र श्री माधव प्रसाद निवासी– ग्राम व पो0–किशुनपुर, ग्रिन्ट (बल्देवडीह) रेहरा बाजार, उ0प्र0।

.................क्रेता / द्वितीय पक्ष

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. India
Regd. No. 31/64/2000

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

02-Dec-2023 02:15 PM 02-Dec-2023 02:15 PM 02-Dec-2023 02:15 PM
SMT SHAKTI SINGH WO LOVE KUMAR SMT SHAKTI SINGH WO LOVE KUMAR

जो कि विक्रेता/प्रथम पक्ष **भूखण्ड/भवन संख्या–174, खसरा संख्या–28, क्षेत्रफल–195.16 वर्ग मीटर, रिंग रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर** स्थित–**कार्नर का, मयूर रेजीडेंसी योजना, ग्राम–निजामुद्दीनपुर, लखनऊ** स्वामी अध्यासी व कब्जा धारी है उक्त भवन समस्त प्रकार के बन्धक, गिरवी, जमानत अथवा भार आदि से पूर्णतया मुक्त है, जिसे विक्रय करने का मुझको पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण **भूखण्ड/भवन संख्या–174, खसरा संख्या–28, क्षेत्रफल–195.16 वर्ग मीटर, रिंग रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर** स्थित–**कार्नर का, मयूर रेजीडेंसी योजना, ग्राम–निजामुद्दीनपुर, लखनऊ** को स्वस्थचित्त मन व मस्तिष्क से खूब सोच–समझकर बिना किसी जोर दबाव के प्रतिफल रुपया **75,00,000/–** **(पचहत्तर लाख रुपये मात्र)** के बदले क्रेता अमर प्रताप चौधरी पुत्र श्री माधव प्रसाद निवासी– ग्राम व पो0–किशुनपुर, ग्रिन्ट (बल्देवडीह) रेहरा बाजार, उ0प्र0 को विक्रय करने पर प्रथम पक्ष/विक्रेता सहमत हैं। हम उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं:–

1. यह कि तयशुदा मूल कीमत मुव0 रुपया **75,00,000/–** **(पचहत्तर लाख रुपये मात्र)** में से मुव0 **1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र)** बतौर बयाना नीचे दिये गये विवरण के नअुसार क्रेता उपरोक्त विक्रेता उपरोक्त ने वसूल पाया। जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

2. यह कि क्रेता अमर प्रताप चौधरी वर्तमान समय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरेहा के पद पर कार्यरत है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विक्रेता/प्रथम पक्ष से उक्त **भूखण्ड/भवन संख्या–174**, **खसरा संख्या–28**, **क्षेत्रफल–195.16 वर्ग मीटर, रिंग रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर** स्थित–**कार्नर का, मयूर रेजीडेंसी योजना, ग्राम–निजामुद्दीनपुर, लखनऊ** को क्रय करने को क्रेता **अमर प्रताप चौधरी** को अनुमति मिलते ही शेष धनराशि रुपया **74,00,000/– (चौहत्तर लाख रुपये मात्र)** क्रेता/द्वितीय पक्ष, विक्रेता/प्रथम पक्ष को अदा कर उक्त भवन का विक्रय विलेख द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से निष्पादित करा लेगा प्रथम पक्ष इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध कारित नहीं करेगा।

3. यह कि उक्त **भूखण्ड/भवन संख्या–174, खसरा संख्या–28, क्षेत्रफल–195.16 वर्ग मीटर, रिंग रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर** स्थित–**कार्नर का, मयूर रेजीडेंसी योजना, ग्राम–निजामुद्दीनपुर, लखनऊ** समस्त प्रकार के बन्धक, गिरवी, जमानत अथवा भार आदि से पूएर्णतया मुक्त है। यदि इस पर किसी प्रकार का बन्धक, गिरवी, जमानत अथवा भार आदि पाया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा क्रेता को हक व अधिकार होग कि वह अपना सम्पूर्ण प्रतिफल, स्टाम्प फीस आदि मुझ विक्रेता से वसूल कर लेवे।

NOTARY * GOVT. OF UTTAR PRADESH * R. C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. No. 31/64/2000

SIGNATURE ATTESTED

R. C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U. P. India
Regd. 31/64/2000

4. यह कि इस विक्रय अनुबन्ध–पत्र से आच्छादित **भूखण्ड/भवन संख्या–174, खसरा संख्या–28, क्षेत्रफल–195.16 वर्ग मीटर, रिंग रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर** स्थित–कार्नर का, **मयूर रेजीडेंसी योजना, ग्राम–निजामुद्दीनपुर, लखनऊ** कब्जा क्रेता को रजिस्ट्री के समय दिया जायेगा।

5. यह कि रजिस्ट्री बैनामा का खर्च स्टाम्प, रजि0 फीस, आदि जिम्मे क्रेता है।

6. यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र की शर्तों के पाबन्द विक्रेता व क्रेता व हम उभय पक्षों के वारिसान भी होंगे।

विवरण बयाना प्राप्ति

कुल बयाना धनराशि रुपया **1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र)** विक्रे/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से जरिये चेक सं0–**606107 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–आख का अस्पताल, सीतापुर, रोड, जिला–सीतापुर, उ0प्र0** द्वारा वसूल पाये, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

एक किता **भूखण्ड/भवन संख्या–174, खसरा संख्या–28, क्षेत्रफल–195.16 वर्ग मीटर, रिंग रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर** स्थित–कार्नर का, **मयूर रेजीडेंसी योजना, ग्राम–निजामुद्दीनपुर, लखनऊ** जिसकी चौहद्दी निम्न है:–

पूरब	– सड़क 30 फुट चौड़ी
पश्चिम	– भूखण्ड संख्या–175
उत्तर	– भूखण्ड संख्या–173
दक्षिण	– सड़क 30 फुट चौड़ी

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र विक्रेता ने खूब सोच–समझकर बिना किसी जोर–दबाव नायाज के स्वस्थचित्त मन से, पढ़कर सुन लिया और अपना निशानी अंगूठ/हस्ताक्षर बनाकर क्रेतागण/द्वितीय पक्ष के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक–............................

गवाहान–

1.

प्रथम पक्ष/विक्रेता
(श्रीमती शक्ति)

2.

द्वितीय पक्ष/क्रेता
(अमर प्रताप चौधरी)

GOVT. OF UTTAR PRADESH * NOTARY * R. C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. No. 31/64/2000

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. India
Regd. No. 31/64/2000